न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 07/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री भारतमाता गौ सेवाश्रम समिति, पथमेडा तहसील सांचौर जिला जालोर जरिये अध्यक्ष हरीसिंह पुत्र रावतसिंहजी जाति राजपूत निवासी केसुआ तहसील रेवदर जिला जालोर(राज.)		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, रेवदर 2. जिला कलक्टर सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री दिनेश राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

–: निर्णय :–

दिनांकः– 08/04/2019

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.12(3)(162)राज/2013/1166–67 दिनांक 26.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट एक रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके पंजीयन संख्या 37/जालोर/02–03 दिनांक 10.06.02 है। उक्त संस्था का राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के तहत भी पंजीयन हो चुका है। जिसके पंजीयन क्रमांक 349/02 दिनांक 05.03.2002 है। रजिस्ट्रार सहकारी संस्था द्वारा अनुमोदित विधान अनुसार समिति का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होने से उक्त संस्था अन्य किसी भी जिले में भूमि आवंटन करवाने का अधिकार है। अपीलांट द्वारा दिनांक 17.09.2013 को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1957 के नियम 4 के तहत विधिवत रूप से ग्राम वडवज तहसील रेवदर के खसरा नंबर 83 व 74 रकबा 120 बीघा 14 बिस्वा बीघा भूमि को गौशाला के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

लिये भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया एवं साथ ही रजिस्ट्रार संस्था जालोर एवं उपनिदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र और पशुओ का विवरण प्रस्तुत किया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट संस्था को सूचित किया गया, कि उक्त संस्था के गांव वडवज में कार्यरत रहने संबंधी पशुओं का विवरण एवं दस्तावेज संलग्न नहीं किये है, इस कारण से संस्था को जिला जालोर में भूमि आंवटन हेतु आवेदन करना चाहिये था। जिस पर अपीलांट संस्था द्वारा दिनांक 03.10.2013 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि वर्तमान में उक्त गौशाला श्रीगोपाल गौवर्द्धन गौशाला आनन्दवन पथमेडा जिला जालोर की शाखा नंदगांव के केसुआ तहसील रेवदर जिला सिरोही, के साथ स्थानान्तरित कर दी गई है, परन्तु स्थानाभाव एवं गौवंश की संख्या मे दिनोदिन वृद्धि होने के कारण अपीलांट गौशाला को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना अतिआवश्यक है। जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है। अत आवेदन में चाही गई भूमि बिलानाम पडत उपलब्ध है, अत उक्त आराजी का आवंटन किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना साक्ष्य, सबूत सुनवाई का अवसर प्रदान किये विधान में वर्णित प्रावधानों के विपरित जाकर अपने आदेश द्वारा अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध पूर्व में हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा एक अपील संख्या 10/2014 प्रस्तुत की गई। जिसे हाजा न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.10.2014 को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड करने का आदेश प्रदान किया गया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः जांच–रिर्पोट मंगवाई गई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के पुनः अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये केवल मात्र इस आधार पर अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया कि उक्त गौशाला को सिरोही जिले में पंजीकृत हुए 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुए है, इसलिए आगामी 2 वर्षो तक उक्त गौशाला को भूमि आवंटन किया जाना संभव नहीं है। जबकि अपीलांट द्वारा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1957 के नियम 4 के तहत समस्त तथ्यों की जानकारी देते हुए विधिवत दस्तावेजात को संलग्न जिसमें "अपीलांट के पास कितने पशु है, उपरोक्त अपीलांट गौशाला वर्तमान में कहां कार्यरत है, साथ ही गौशाला का नाम और उसके प्रबंध के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम सहित कितने वर्षो से उपरोक्त गौशाला कार्यरत है, वित्तीय स्थिति और पूर्व में कितनी भूमि अपीलांट गौशाला के पास है," इत्यादि की संपूर्ण सूचना आवेदन के साथ प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1957 के नियम 5 की पालना में स्वंय एवं तहसीलदार के माध्यम द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की जांच करवाई गई, जिनमें उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि अपीलांट को आवंटन करने की अनुषंशा की गई। इसके अतिरिक्त विधिक प्रावधानों में यह कही आज्ञापक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

नहीं है कि जिस जिले में भूमि का आवंटन चाहा गया है, उसी जिले में संस्था का रजिस्टर्ड होना आवश्यक हो। संस्था भारत के किसी भी स्थान से रजिस्टर्ड हो सकती है उस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। एवं न ही विधिक प्रावधानों का उल्लेख किया है कि जिस जिले में आवंटन चाहा गया है उसी जिले में गौशाला रजिर्स्टड हुए 3 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी हो। इस संबध में गौशाला आवंटन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अपीलांट के पास वर्तमान में 2520 गौवंश है जिसके लिए पर्याप्त भूमि अपीलांट के पास उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रावधानो का पालन किये, अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त करावे एवं अपीलांट द्वारा चाही गई भूमि अपीलांट समिति के पक्ष में गौशाला हेतु आवंटन करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1957 के नियम 4 के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया है जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 17.09.2013 को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1957 के नियम 4 के तहत विधिवत रूप से ग्राम वडवज तहसील रेवदर के खसरा नंबर 83 व 74 रकबा 120 बीघा 14 भूमि गौशाला के लिये आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया एवं साथ ही रजिस्ट्रार संस्था जालोर एवं उपनिदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र और पशुओ का विवरण प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना साक्ष्य, सबूत सुनवाई का अवसर प्रदान किये विधान में वर्णित प्रावधानों के विपरित जाकर अपने आदेश द्वारा अपीलांट को आवेदन खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष एक अपील संख्या 10/2014 प्रस्तुत की गई। जिसे हाजा न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.10.2014 को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड करने का आदेश प्रदान किया गया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः जांच–रिर्पोट मंगवाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में अपने निर्णय दिनांक 28.10.2014 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर पत्रावली साक्ष्य, सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित की गई थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

द्वारा उक्त निर्णय की पूर्ण रूप से पालना किये बिना अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किये जैर अपील आदेश पारित किया है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.12(3)(162)राज/2013/1166–67 दिनांक 26.02.2018 अपास्त किया जाकर इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1957 के नियमों की पालना करते हुए अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही